

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(वित्त एवं व्यय)
वित्त एवं व्यय परिपत्र सं. 24/2017

उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. प्राधिकरण के संकल्प सं. 208 दिनांक 25.02.1967 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य लेखा अधिकारी, दि.वि.प्रा. को कैशियर अथवा नकदी संभालने वाले कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार नकदी संभालने संबंधी भत्ता देने की शक्तियाँ प्रदान करते हैं, जो कर्मचारियों द्वारा निष्ठा बंध-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन होगा ।

(कल्पना मोंगिया)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी
(वित्त एवं व्यय)

सं. एफ ई 16 (35) 2009/डीडीए/पार्ट/467

दिनांक: 20.09.2017

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य लेखा अधिकारी के निजी सचिव को मुख्य लेखा अधिकारी के सूचनार्थ ।
2. सभी उप मुख्य लेखा अधिकारी ।
3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कैश मेन)
4. गार्ड फाइल ।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी
(वित्त एवं व्यय)